झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

पत्र सं0-कार्य0का0सू0-05/2019- 1318 /वि0स0।

प्रेषक,

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

सेवा में,

मानवीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान सभा,राँची।
माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण, झारखण्ड सरकार,राँची।

राँची,दिनांक- 05/07/2019

विषयः- चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के षोडश (मानसून) सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम।

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय के पत्रांक-कार्य0का0सू0-05/2019-1317 /वि0स0, राँची,दिनांक-...05.07.2019.के कम में निदेशानुसार मैं, चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा का षोडश (मानसून) सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम की एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ, जिसमें यह दर्शाया गया है कि उक्त सत्र के दौरान दिनांक-22जुलाई,2019 से 26जुलाई,2019 तक की अवधि में होनेवाली बैठकों में भिन्न-भिन्न कोटि के कार्यों के निष्पादन के लिए कौन-कौन सी तिथियाँ नियत की गई हैं।

2.दिनांकः-22जुलाई,2019 को शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो),एवं विधान सभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणिकृत प्रतियों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो), तत्पश्चात् शोक प्रकाश (यदि हो) लिये जायेंगे।

-: -:वित्तीय कार्यः-

03. वित्तीय वर्ष-2019-20 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन एवं व्यवस्थापन-दिनांक-22जुलाई,2019 को वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन एवं दिनांक-23जुलाई,2019 को उक्त व्यय विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद,मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण होगा।

अतएव झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम-173 एवं 268 (1) के अन्तर्गत उक्त व्यय विवरणी में सम्मिलित किसी मांग पर कटौती प्रस्ताव की सूचना नियम-168 को शिथिल करते हुए दिनांक-22जुलाई,2019 को 03:00 बजे अपराह्न तक सचिव के कार्यालय कक्ष में देने हेतु समय नियत किया गया है।

-: विधायी कार्य :-

4.दिनांकः-24जुलाई और 25जुलाई, 2019 को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो) होंगे।

क्0पृ030

-: **<u>गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प)</u>** :-

05. संलग्न कार्यक्रम को देखने से यह स्पष्ट है कि **दिनांक-26 जुलाई,2019**की तिथि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प)के लिए नियत किया गया है। झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-126 के अनुसार गैर-सरकारी संकल्पों की सूचना देने की अंतिम तिथि ऐसे गैर-सरकारी संकल्पों की सूचना को सदन में लिए जाने के लिए नियत तिथि से 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व निर्धारित है।अतएव इसके तहत गैर-सरकारी संकल्पों की सूचना **दिनांक-11जुलाई,2019** को 04.00 बजे अप0 तक सचिव के कार्यालय कक्ष में दी जा सकती है।

मैं इस संबंध में आपका ध्यान झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-126 के द्वितीय परन्तुक की ओर भी आकृष्ट करता हूँ,जिसके अनुसार कोई सदस्य गैर-सरकारी संकल्प के लिए एक से अधिक सूचना नहीं दे सकते हैं।

06. **शलाका**-गैर-सरकारी संकल्पों की पूर्ववर्तिता निर्धारित करने के लिए सचिव के कार्यालय कक्ष में शलाका किया जायेगा, जिसके लिए **दिनांक-19 जुलाई,2019**, को **04.00 बजे अप0** का समय निर्धारित किया गया है।

07. (क) प्रश्नों की सूचनायें देने के लिए चक्रानुवर्त्तित क्रम की सारणी अलग से परिचारित की जा रही है।

(ख) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्नों की प्राथमिकता शलाका द्वारा निर्धारित की जायेगी।

08. सत्र में भिन्न-भिन्न कोटि के कार्यो के लिए उपर्युक्त नियत तिथि ऐसे परिवर्तनों के अधीन है,जो समय-समय पर सदन में अभिज्ञापित किये जायेंगे अथवा दैनिक कार्य-सूची में दिखलाए जायेंगे ।

09. यदि कार्यवश तिथि-26जुलाई,2019के पश्चात् भी सत्र चलाना आवश्यक प्रतीत हुआ तो भिन्न-भिन्न कार्यो के निपटारे के लिए भिन्न-भिन्न तिथियाँ नियत करते हुए एक अनुपूरक कार्यक्रम बाद में निर्गत किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि इस सचिवालय के द्वारा समय-समय पर प्रेषित कार्य-सूची सहित अन्य ऐसे कागजात जो आपके उपयोग एवं सत्रावधि में निदेश के लिए आवश्यक हो, उसे अपने साथ अवश्य लाने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन,

05/07/19

(महेन्द्र प्रसाद)
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

केशान/-

05.07.19

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के षोडश (मानसून) सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम
(दिनांक 22.07.2019–26.07.2019)

दिनांक 22 जुलाई, 2019 (सोमवार)	–	1. शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो) 2. विधान सभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणिकृत प्रतियों का सभा पटल पर रखा जाना (यदि हो)। 3. वित्तीय वर्ष 2019–2020 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन । 4. शोक प्रस्ताव (यदि हो)
दिनांक 23 जुलाई, 2019 (मंगलवार)	–	1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2019–2020 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद–विवाद, मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण।
दिनांक 24 जुलाई, 2019 (बुधवार)	–	1. प्रश्नकाल। 2. राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो)।
दिनांक 25 जुलाई, 2019 (गुरूवार)	–	1. प्रश्नकाल। 2. राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो)।
दिनांक 26 जुलाई, 2019 (शुक्रवार)	–	1. प्रश्नकाल। 2. गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)।